राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, नरेगा)

क्रमांक एफ. 4 (5) ग्रावि/ग्रारो/नरेगा/2009-10 जयपुर दिनांक

18 MAY 2009

आयुक्त,
निशक्तजन,
जी-3/1, अंबेडकर भवन, राजमहल होटल के पीछे,
जयपुर।

विषयः-निशक्तजनों को नरेगा योजना में रोजगार दिलाने बाबत।
संदर्भः-आपका पत्र क्रमांक पीएी/आयु./निः.जन/09/1191 दिनांक 21.4.2009

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा श्री सत्यनारायण, कार्यक्रम समन्वयक, Sovirty to unlift rural economy 29ए गुरूद्वारा रोड़, बाइमेर द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निशक्तजनों को रोजगार देने के संबंध में जो प्रेषित किये है, उनके संबंध स्थिति निम्नानुसार हैः-

नरेगा के तहत श्रमिकों के नियोजन में कोई विशेष श्रेणी बनाने का प्रावधान नही है, जो भी परिवार कार्य की मांग के लिए निर्धारित प्रकिया अनुसार कार्य की मांग करता है, उसे निर्धारित टॉस्क की पूर्ति हेतु कार्य पर नियोजित किया जा सकता है। किसी विशेष वर्ग के समूह के लिए न तो टॉस्क में कटौती नहीं की जा सकती है न ही अलग से जॉब कार्ड बनाने का प्रावधान है। चूंकि निशक्तजनों के लिए कोई विशेष श्रेणी नहीं बनाई गई है, ऐसी स्थिति में नरेगा योजना में नरेगा प्रकोष्ठ बनाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे निशक्तजनों हेतु आवास/ टांका निर्माण/ शौचालय निर्माण कर सकें, इसके लिए भी नरेगा योजना के दिशा-निर्देशों में कोई पृथक से प्रावधान नहीं है। आवास एवं शौचालय निर्माण की गतिविधि नरेगा योजना के तहत अनुमत कार्यों की सूची में नही है। ऐसी स्थिति में उन कार्यों का निष्पादन नरेगा के तहत नहीं करवाया जा सकता है, फिर भी राज्य में नरेगा के तहत निशक्तजन व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने में यदि वह व्यक्ति 10वीं पास है तो उसे मेट के रूप में नियोजन में प्राथमिकता देने के निर्देश दे रखे है।

भवदीय,

(राजेश कुमार भारद्वाज)
परि.निदे. एवं उप सचिव(ग्रारो)

D:\RAM\ALL RAJASTHAN letter.doc